भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1045
03 नवम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

1045. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर महाराष्ट्र और राजस्थान में आज की तिथि तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि जारी और व्यय की गई है;
(घ) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यनिष्पादन का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;
(ङ) क्या आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के अंतर्गत आवेदकों की संख्या में कोई कमी आई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): महाराष्ट्र और राजस्थान सहित 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8,93,92,413 लाभान्वित परिवार हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या 24,810 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में 1,75,19,061 अस्पताल दाखिले प्राधिकृत किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे अनुलग्नक-III पर दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सदृश अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार की 7,386.56 करोड़ रु. की निधि जारी कर दी गई है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत निधियां, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही जारी की जाती हैं। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के केन्द्रीय शेयर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे अनुलग्नक-IV पर दिए गए हैं।

योजना के निष्पादन का निरंतर आंकलन तथा मानीटरिंग की जाती है। विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) सहित एक डैशबोर्ड का निर्माण स्कीम की सतत रूप से मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इस योजना के निष्पादन का निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन जारी किए गए कार्डों, अस्पताल में दाखिलों की संख्या, प्रदान किए गए उपचार की कोटि, दावों का समय से किए गए निपटान आदि के संदर्भ में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेन्सियों सहित हितधारकों के साथ राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आवधिक आधार पर की जाती हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से संबंधित प्रश्न अथवा सूचना संगत नियमों तथा प्रक्रिया तथा लोक सभा में कार्य के संचालन के तहत इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह समग्र निधि पूर्णत: स्वैच्छिक सार्वजनिक अंशदान से संघटित की जाती है न कि भारत की संचित निधि में से किसी आबंटन से।

अनुलग्नक-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमजेवाई के तहत पात्र परिवारों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21,399
आंध्र प्रदेश	54,67,524
अरुणाचल प्रदेश	88,611
असम	26,96,996
बिहार	1,08,11,015
चंडीगढ़	23,678
छत्तीसगढ़	36,50,364
दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	26,342
गोवा	36,431
गुजरात	43,83,948
हरियाणा	15,45,936
हिमाचल प्रदेश	4,78,985
जम्मू-कश्मीर	5,97,801
झारखंड	28,05,753
कर्नाटक	62,09,073
केरल	22,03,589
लद्दाख	10,904
लक्षद्वीप	1,465
मध्य प्रदेश	83,57,257
महाराष्ट्र	83,63,664
मणिपुर	2,73,250
मेघालय	3,47,013
मिजोरम	1,94,859
नागालैंड	2,33,328
पुडुचेरी	1,03,434
पंजाब	14,64,802
राजस्थान*	58,95,363
सिक्किम	39,738
तमिलनाडु	77,70,928
तेलंगाना	25,90,010
त्रिपुरा	4,90,964
उत्तर प्रदेश	1,16,84,453
उत्तराखंड	5,23,536
कुल	**8,93,92,413**

नोट:-उपर्युक्त सूची में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एसईसीसी 2011 के पात्र लाभान्वित परिवारों की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि वे एबी-पीएमजेएवाई कार्यान्वित नहीं करते है।

अनुलग्नक-II

<u>राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की एबी-पीएमजेवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पताल</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पैनलबद्ध कुल अस्पताल**
आंध्र प्रदेश	1334
अरुणाचल प्रदेश	51
असम	382
बिहार	901
चंडीगढ़	28
छत्तीसगढ़	1514
दिल्ली	102
गोवा	34
गुजरात	2487
हरियाणा	603
हिमाचल प्रदेश	235
जम्मू-कश्मीर	236
लद्दाख	10
झारखंड	825
कर्नाटक	3447
केरल	736
मध्य प्रदेश	872
महाराष्ट्र	967
मणिपुर	77
मेघालय	182
मिजोरम	94
नागालैंड	99
ओडिशा	31
पुडुचेरी	26
पंजाब	920
राजस्थान	1360
सिक्किम	13
तमिलनाडु	3628
तेलंगाना	341
त्रिपुरा	141
उत्तर प्रदेश	2820
उत्तराखंड	246
पश्चिम बंगाल	68
कुल	**24,810**

अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 तक एबी-पीएमजेएवाई में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्राधिकृत अस्पताल दाखिले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पताल में प्राधिकृत दाखिलों की संख्या		
	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14	153	342
आंध्र प्रदेश	1,33,432	6,06,295	4,45,122
अरुणाचल प्रदेश	378	1,354	77
असम	32,713	90,194	93,355
बिहार	19,733	1,60,114	89,282
चंडीगढ़	358	3,515	5,379
छत्तीसगढ़	2,31,267	6,36,985	4,98,774
दादरा और नागर हवेली दमन और दीव	8,484	33,993	18,945
दिल्ली	-	-	
गोवा	9,723	374	139
गुजरात	3,14,251	11,40,664	8,25,788
हरियाणा	11,226	97,511	1,38,814
हिमाचल प्रदेश	8,692	48,241	29,343
जम्मू-कश्मीर	6,317	66,797	67,926
लद्दाख		559	396
झारखंड	1,08,037	4,09,749	2,98,267
कर्नाटक	1,19,507	5,94,257	6,83,363
केरल	-	9,76,857	10,44,635
लक्षद्वीप	-	1	
मध्य प्रदेश	45,409	2,78,763	4,30,474
महाराष्ट्र	1,08,247	2,14,922	1,36,699
मणिपुर	1,508	12,807	16,369
मेघालय	1,146	1,24,716	1,23,737
मिजोरम	7,097	27,726	16,991
नागालैंड	269	10,227	7,358

ओडिशा	-	-	
पुडुचेरी	-	1,370	2,587
पंजाब	-	1,96,697	4,22,884
राजस्थान	-	9,25,684	4,10,464
सिक्किम	9	1,215	2,027
तमिलनाडु	4,00,235	8,54,893	15,68,343
तेलंगाना	-	-	
त्रिपुरा	7,800	51,152	30,238
उत्तर प्रदेश	68,141	2,89,177	3,19,600
उत्तराखंड	20,594	1,30,291	1,21,867
पश्चिम बंगाल	17,636	-	
अखिल भारत	16,82,223	79,87,253	78,49,585

नोट:

1. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से वित्त वर्ष 2019 में किय गया था। इसलिए, दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत अस्पताल दाखिलों की संख्या वित्त वर्ष 2019 के बाद से दिखाई गई है।

2. एबी-पीएमजेएवाई को पश्चिम बंगाल में 10 जनवरी, 2019 तक ही लागू किया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस योजना का कार्यान्वयन न करने का फैसला किया।

अनुलग्नक-IV

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 तक एबी-पीएमजेवाई के लिए जारी केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2018-19*	वित्त वर्ष 2019-20*	वित्त वर्ष 2020-21*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.41	0.27
2	आंध्र प्रदेश	182.85	374.07	261.23
3	अरुणाचल प्रदेश	2.31		0.67
4	असम	21.08	133.23	12.10
5	बिहार	88.27	82.49	
6	चंडीगढ़	0.68	3.82	1.84
7	छत्तीसगढ़	217.43	280.37	112.62
8	दादरा और नागर हवेली	3.25	2.02	3.17
9	दमन और दीव	1.02		1.07
10	गोवा	0.64	0.06	0.49
11	गुजरात	77.50	212.33	99.84
12	हरियाणा	26.81	58.69	71.92
13	हिमाचल प्रदेश	17.18	19.12	32.93
14	जम्मू-कश्मीर	20.64	33.44	22.70
15	झारखंड	170.17	126.50	100.32
16	कर्नाटक	159.31	254.13	160.85
17	केरल	25.00	97.56	145.61
18	लद्दाख			1.62
19	लक्षद्वीप	0.00		
20	मध्य प्रदेश	72.57	118.46	164.80
21	महाराष्ट्र	266.32	241.88	376.65
22	मणिपुर	7.18	17.10	11.45
23	मेघालय	15.57	18.07	49.52
24	मिजोरम	17.48	12.41	14.97
25	नागालैंड	4.72	10.89	12.27
26	पुडुचेरी	1.52		1.23
27	पंजाब	2.24	55.55	46.85
28	राजस्थान	0.00	200.07	258.31
29	सिक्किम	1.03	0.09	1.85
30	तमिलनाडु	304.98	441.77	359.81
31	त्रिपुरा	12.81	20.18	8.98
32	उत्तर प्रदेश	85.01	147.49	167.63
33	उत्तराखंड	12.54	30.73	40.52
34	पश्चिम बंगाल	31.28		
कुल योग		**1849.54**	**2992.93**	**2544.09**

***प्रशासनिक खर्चों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशि शामिल नहीं है ।**

******